प्रेस नोट दिनांक- 23.10.2025 जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग से संबंधित 25000/- रुपये का ईनामिया 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक नगर/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री नीरज यादव के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम उ0नि0 अनुपम त्रिपाठी मय हमराह का0 रमाकान्त गौड़ द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 248/25 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर से संबंधित 25000/- रुपये का ईनामिया 01 अभियुक्त अरुन सिंह पुत्र स्व0 केरल सिंह निवासी कंसा पट्टी थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पूरे ईश्वरनाथ चकबनतोड़ से गिरफ्तार किया गया।

इनामिया अभियुक्त का विवरण-
अरुन सिंह पुत्र स्व0 केरल सिंह निवासी कंसा पट्टी थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ उम्र 28 वर्ष

इनामिया अभियुक्त अरुन सिंह पुत्र स्व0 केरल सिंह निवासी कंसा पट्टी थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ उम्र 28 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 95/23 धारा 411/413/414 भादवि थाना नसीराबाद जनपद रायबरेली।
2. मु0अ0सं0 248/25 धारा 2/3गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 अनुपम त्रिपाठी मय हमराह का0 रमाकान्त गौड़ थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास, मारपीट के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 22.10.2025 को ग्राम घाटमपुर (सतैसा) थाना को0 देहात जनपद प्रतापगढ़ में वादी व वादी के परिजनों के साथ आरोपीगणों द्वारा जान से मारने की नियत से मारपीट व हमला कर वादी व वादी के परिजनों को घायल कर देने के प्रकरण में वादी की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात में मु0अ0सं0-304/2025 धारा- 191 (2), 191 (3), 190,115 (2),352,109 (1),333 बीएनएस व 3 (1) /3 (1)ध/3 (2) 5क/3 (2)5 एससी एसटी एक्ट बनाम 19 नामजद अभियुक्त/अभियुक्ता का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कातवाली देहात निरीक्षक श्री विजय कान्त सत्यार्थी के नेतृत्व में थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम उ0नि0 अनूप कुमार यादव मय हमराह हे०कां0 रामबचन, का० राहुल सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-304/2025 धारा- 191 (2), 191 (3), 190,115 (2),352,109 (1),333 बीएनएस व 3 (1) /3 (1)ध/3 (2) 5क/3 (2)5 एससी एसटी एक्ट में वाँछित 02 अभियुक्तों 1.आदर्श यादव सुत रामशिरोमणि यादव उम्र 28 वर्ष, 2. अखिलेश कुमार यादव सुत धर्मराज यादव उम्र 43 वर्ष नि०गण घाटमपुर सतैसा थाना कोतवाली देहात प्रतापगढ़ को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रातंर्गत ग्राम घाटमपुर सतैसा से गिरफ्तार किये गये।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1.आदर्श यादव सुत रामशिरोमणि यादव उम्र 28 वर्ष निवासी घाटमपुर सतैसा थाना कोतवाली देहात प्रतापगढ़।

2. अखिलेश कुमार यादव सुत धर्मराज यादव उम्र 43 वर्ष निवासी घाटमपुर सतैसा थाना कोतवाली देहात प्रतापगढ़।

अपराधिक इतिहास-

आदर्श यादव सुत रामशिरोमणि यादव निवासी घाटमपुर सतैसा थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

1.मु0अ0सं0-147/2023 धारा 147, 149, 323, 504 भादवि व 3(1)(घ), 3(1)(द), 3(2)(va) SC/ST Act थाना मान्धाता प्रतापगढ़।

2. मु0अ0सं0-403/2025 धारा 109(1), 115(2), 190, 191(2), 191(3), 333, 352 BNS व 3(1)(घ), 3(1)(द), 3(2)(v), 3(2)(va) SC/ST ACT थाना कोतवाली देहात ,प्रतापगढ़ ।

अपराधिक इतिहास-
अखिलेश कुमार यादव सुत धर्मराज यादव निवासी घाटमपुर सतैसा थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ ।
1.मु0अ0सं0-147/2023 धारा 147, 149, 323, 504 भादवि व 3(1)(घ), 3(1)(द), 3(2)(va) SC/ST Act थाना मान्धाता प्रतापगढ़ ।
2. मु0अ0सं0-403/2025 धारा 109(1), 115(2), 190, 191(2), 191(3), 333, 352 BNS व 3(1)(घ), 3(1)(द), 3(2)(v), 3(2)(va) SC/ST ACT थाना कोतवाली देहात , जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-
उ0नि0 अनूप कुमार यादव मय हमराह हे०कां0 रामबचन, का० राहुल सिंह थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

थाना बाघराय पुलिस द्वारा 01 अदद रिवाल्वर .32 बोर मय 04 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर के साथ 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्तों को थाना क्षेत्रान्तर्गत मुन्नी लाल गौतम के ट्यूवबेल के पास गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना बाघराय प्रभारी श्री श्रवण कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 विकास प्रधान मय हमराह का0 अंकित कुमार, का० अमरजीत द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थानाक्षेत्र बाघराय के मुन्नी लाल गौतम के ट्यूवबेल के पास 02 अभियुक्तों 1.नितिन श्रीवास्तव पुत्र स्व० श्याम लाल श्रीवास्तव उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम

भिटारा थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ, 2. जयसिंह पाल पुत्र विनोद कुमार उम्र करीब 25 वर्ष निवासी भिटारा थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ के पास से 01 अदद रिवाल्वर .32 बोर मय 04 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर बरामद किया गया।

अभियुक्तों के पास से नाजायज तमन्चा बरामदगी के संबंध में थाना बाघराय में मु0अ0स0 235/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1.नितिन श्रीवास्तव पुत्र स्व० श्याम लाल श्रीवास्तव उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम भिटारा थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ।
2. जयसिंह पाल पुत्र विनोद कुमार उम्र करीब 25 वर्ष निवासी भिटारा थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी- 01 अदद रिवाल्वर .32 बोर मय 04 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 विकास प्रधान मय हमराह का0 अंकित कुमार, का० अमरजीत,थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़

महिला की हत्या कर शव को कुएँ में फेंकने वाले 01 अभियुक्त अखिलेश पटेल को थाना फतनपुर पुलिस द्वारा घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल ईंट के साथ गिरफ्तार किया गया —

प्रतापगढ़।
दिनांक 17.10.2025 की शाम को वादी की पत्नी घर से बाहर गई और काफी देर तक वापस नहीं आई। खोजबीन के दौरान वादी के भाई ने उसे पास के खेत में कुएँ के अंदर मृत पाया। जांच और पड़ोसियों से जानकारी मिलने पर वादी को विश्वास हुआ कि अखिलेश पटेल पुत्र रामबहादुर पटेल ने फोन करके पत्नी को बुलाया और मारकर कुएँ में फेंका। इस संबंध में थाना फतनपुर में मु0अ0सं0- 251/2025 धारा 103 (1)/238 बीएनएस बनाम 01 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी फतनपुर राजेन्द्र कुमार त्रिपाठी मय हमराह उ0नि0 रामकुमार सिंह, उ0नि0 राहुल कुमार कां0 शिवम यादव, कां0 अभिषेक सिंह, कां0 सुनील यादव, कां0 ओमप्रकाश पाल द्वारा देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0- 251/2025 धारा 103 (1)/238 बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त अखिलेश पटेल पुत्र रामबहादुर पटेल निवासी सुरवामिश्रपुर (पंडित का पूरा) थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत नारायनपुर कला नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त की निशानदेही में मेडुआडीह जाने वाले रोड पर कुएं के पास धान के खेत से घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 अदद सम्मा ईंट व 01 अदद अद्धा ईंट बरामद किया गया। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि इन्ही ईंट से मैने सिर पर मारकर हत्या किया था।

पूछताछ का विवरण-
अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मै चित्रकूट में रहकर पालिटेक्निक की पढ़ाई करता हूं। मेरे पड़ोस की महिला मेरा खेत अधिया पर जोती बोती थी, जिस कारण मेरी बातचीत उससे हो जाती थी धीरे धीरे ज्यादा बाते होने लगी। तो वह मुझसे और मै उससे प्रेम करने लगा। करीब एक से डेढ़ वर्ष हम लोगो के बीच ऐसे ही चलता रहा तो मेरे घर वाले मेरी शादी करने के लिए बातचीत करने लगे। तो उसको जानकारी हो गयी तब वह मुझे धमकी देने लगी कि अगर किसी और से शादी किये तो मै तुम्हे बलात्कार के केस में फंसा कर जेल भेजवा दूंगी। मै उसको समझाता रहा लेकिन वह नही मानी तब मै उससे आजीज आ गया था उससे छुटकारा चाहता था। इसलिए मैने उसकी हत्या करके शव को कुएं में फेक दिया था। डर से घबरा कर मौके से भाग गया था। मुझे पता चला है कि मृतका के घर वालों ने मेरे खिलाफ थाने पर मुकदमा लिखवाया, पुलिस मुझे पकड़ने के लिए ढूंढ रही है इसलिए मैं पुलिस से बचने के लिए भागना चाह रहा था कि आप लोगो ने पकड़ लिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गयी है मुझे माफ कर दीजिए।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
अखिलेश पटेल पुत्र रामबहादुर पटेल निवासी सुरवामिश्रपुर (पंडित का पूरा) थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष ।

बरामदगी- घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल 01 अदद सम्मा ईंट व 01 अदद अद्धा ईंट बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-
थाना प्रभारी फतनपुर राजेन्द्र कुमार त्रिपाठी मय हमराह उ0नि0 रामकुमार सिंह, उ0नि0 राहुल कुमार कां0 शिवम यादव, कां0 अभिषेक सिंह, कां0 सुनील यादव, कां0 ओमप्रकाश पाल थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।

चोरी की 02 मोटरसाइकिल के साथ 01 अभियुक्त उमेश कुमार सरोज गिरफ्तार — फर्जी नम्बर प्लेट सहित बरामदगी

गिरफ्तार अभियुक्त पर जनपद प्रतापगढ़ में लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट जैसे अभियोग पंजीकृत है

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी आसपुर देवसरा श्री विजेन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना आसपुर देवसरा के उ0नि0 उपदेश कुमार मय हमराह का० नरेन्द्र राम, का0 गौतम मौर्या, का0 विनय यादव, का0 मोनू कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त उमेश कुमार सरोज पुत्र उदयराज निवासी भाटपट्टी थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष को चोरी की 02 अदद मोटर साइकिल के साथ थाना आसपुर देवसरा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पर्वतपुर सुलेमान के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 02 अदद चोरी की मोटर साइकिल बरामद की गई। जिसके संबंध में मु0अ0सं0 296/2025 धारा 317(2)/317(4)/318(4)/338/336 (3)/340 (2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पूछताछ का विवरण-
अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि यह मोटर साइकिल चोरी की है, इसकी पहचान छिपाने के लिये मैने मो0सा0 का कूट रचित नम्बर प्लेट लगा रखी है। यह मोटर साइकिल मैने काफी समय पहले चांदा सुल्तानपुर के पास से चुराई थी तथा बेचने के लिये उस पर मैने

फर्जी नम्बर प्लेट लगा दी है और चोरी किये मो0 साइकिल को मै औने पौने दामो में बेच देता हूँ।

आज मै इस मो०सा० को बेचने के फिराक में निकला था कि आप लोगो ने पकड़ लिया। पुनः कड़ाई से पूछने पर बताया कि एक मो०सा० होण्डा साइन हर्रईपट्टी से पहले एक नहर पटरी के किनारे खण्डहरनुमा बने कमरे के पीछे कुछ दिन पहले चांदा सुल्तानपुर से चोरी करके बेचने के फिराक में छुपा कर रखा हूं। यदि मुझे लेकर चले तो मै बरामद करा सकता हूं। हर्रईपट्टी की तरफ चलने पर नहर पटरी के किनारे बने एक खण्डरनुमा मकान के पास वाहन रोकवाकर आगे आगे चल कर खण्डहरनुमा मकान के पीछे झाड़ियों में से एक अदद मो0सा0 होण्डा साइन बरामद कराया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
उमेश कुमार सरोज पुत्र उदयराज निवासी भाटपट्टी थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-
अभियुक्त उमेश कुमार सरोज पुत्र उदयराज निवासी भाटपट्टी थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष का आपराधिक इतिहास-
01. मु0अ0सं0 238/2018 धारा 392,411 भादवि थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।
02. मु0अ0सं0 239/2018 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।
03. मु0अ0सं0 388/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।
04. मु0अ0सं0 296/2025 धारा 317(2)/317(4)/318(4)/338/336 (3)/340 (2) बीएनएस थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-
01 अदद सुपर स्पेलण्डर गाडी(कूटरचित नम्बर प्लेट के साथ) व 01 अदद मो0सा0 होण्डा साइन बरामद।

पुलिस टीम-
उ0नि0 उपदेश कुमार मय हमराह का० नरेन्द्र राम, का0 गौतम मौर्या, का0 विनय यादव, का0 मोनू कुमार थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली नगर में फर्जी पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र बनाने के मामले में अभियुक्त दीपक कुमार वैश्य गिरफ्तार, पुलिस टीम की कार्यवाही से बरामदगी सहित गिरफ्तार

प्रतापगढ़।
वादी निवासी ग्राम महुआर, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ के द्वारा थाना कोतवाली नगर पर प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसके अनुसार, वादी को पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होने पर दिनांक 06.10.2025 को वह राजपाल टंकी यूनियन बैंक के नीचे स्थित दीप इलेक्ट्रॉनिक गया, जहाँ दुकान स्वामी दीपक द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया। दिनांक 17.10.2025 को वादी जब उक्त दुकान पर पुनः गया, तो दीपक द्वारा उसे चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक 17.10.2025 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपयुक्त/पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के नाम से प्रदान किया गया । तत्पश्चात जांच करने पर ज्ञात हुआ कि वादी का आवेदन अभी भी लंबित है एवं दीपक द्वारा फर्जी, कूट रचित चरित्र प्रमाण पत्र तैयार कर उच्चाधिकारियों के नाम का दुरुपयोग करते हुए धोखाधड़ी एवं जालसाजी कर प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इस संबंध में थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 534/25 धारा 319(2) 1318(4)/338/336 (3)/340 (2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री नीरज कुमार यादव के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर के चौकी प्रभारी जिला अस्पताल म0उ0नि0 अर्चना मय हमराह कर्मचारीगण उ0नि0 अंकित कुमार तिवारी मय हमराही हे0 का सन्तोष कुमार का0 शिवम कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर उक्त अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त दीपक कुमार वैश्य पुत्र अशोक कुमार वैश्य निवासी करनपुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत राजापाल टंकी यूनियन बैंक के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से निर्वाचन स्टिकर 17 वर्क, आधार कार्ड 51 अदद, आधार कार्ड की छाया प्रति 15 वर्क, आधार कार्ड लेमिनेशन 29 वर्क, पैन कार्ड 04 अदद, पैन कार्ड की छाया प्रति 03 वर्क, लैमिनेशन पाउच 67 वर्क,ई-श्रम कार्ड 02 अदद, ड्राइविंग लाइसेंस 01 अदद, विकलांग कार्ड 01 अदद, माफ डिवाइस (अंगुष्ठ छाप) 06 अदद, स्टीकर होल्डिंग पंपलेट 41 वर्क, फर्जी पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र व जिसमें सलंग्न एक

सीसीटीएनएस रिपोर्ट के साथ कुल 07 वर्क, निर्वाचन कार्ड 02 अदद, निर्वाचन कार्ड की छाया प्रति 02 वर्क, मॉनिटर 01 अदद, लेमिनेशन मशीन 01 अदद, सीपीयू बरामद किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
दीपक कुमार वैश्य पुत्र अशोक कुमार वैश्य निवासी करनपुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 30 वर्ष।

बरामदगी-
निर्वाचन स्टिकर 17 वर्क, आधार कार्ड 51 अदद, आधार कार्ड की छाया प्रति 15 वर्क, आधार कार्ड लेमिनेशन 29 वर्क, पैन कार्ड 04 अदद, पैन कार्ड की छाया प्रति 03 वर्क, लैमिनेशन पाउच 67 वर्क,ई-श्रम कार्ड 02 अदद, ड्राइविंग लाइसेंस 01 अदद, विकलांग कार्ड 01 अदद, माफ डिवाइस (अंगुष्ठ छाप) 06 अदद, स्टीकर होल्डिंग पंपलेट 41 वर्क, फर्जी पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र व जिसमें सलंग्न एक सीसीटीएनएस रिपोर्ट के साथ कुल 07 वर्क, निर्वाचन कार्ड 02 अदद, निर्वाचन कार्ड की छाया प्रति 02 वर्क, मॉनिटर 01 अदद, लेमिनेशन मशीन 01 अदद, सीपीयू बरामद।

पुलिस टीम-
म0उ0नि0 अर्चना मय हमराह उ0नि0 अंकित कुमार तिवारी, मय हमराही हे0का0 सन्तोष कुमार, का0 शिवम कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध व अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-
झपटा मारी करने के अभियोग में वांछित 01अभियुक्त गिरफ्तार-
थाना कोहंडौर पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नारायणपुर के पास से गिरफ्तार किया गया-
झपटा मारी की घटना से संबंधित 1300/-रूपये बरामद-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
आरोपी द्वारा वादी के साथ झपटा मारी कर पैसे लेकर भाग जाने के प्रकरण में वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक-09.10.2025 को थाना कोहंडौर में मु0अ0सं0 159/25 धारा 304 (2) बीएनएस बनाम 02 व्यक्ति अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना कोहंडौर थानाध्यक्ष श्री धनन्जय राय के नेतृत्व में उपनिरीक्षक राजकुमार मिश्रा मय उ0नि0 विवेक कुमार यादव मय हमराह का० मुकेश कुमार, का० नीरज वर्मा द्वारा देखभाल क्षेत्र/संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर थाना कोहंडौर के मु0अ0सं0 159/25 धारा 304 (2) बीएनएस से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त शिवम सोनी उर्फ कल्लू पुत्र लालमन सोनी उम्र 21 वर्ष नि०ग्राम भगवतगंज थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ को 1300/-रु0 नगद के साथ थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नारायणपुर के पास से गिरफ्तार किया गया। मुकदमा उपरोक्त में उक्त बरामदगी के आधार पर धारा 317 (2) की बढोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
शिवम सोनी उर्फ कल्लू पुत्र लालमन सोनी उम्र 21 वर्ष नि०ग्राम भगवतगंज थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

पूछताछ विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि दिनांक 09.10.2025 को समय करीब 12.00 बजे दोपहर को मैं और मेरा साथी जो अभी अभी अपनी पल्सर मो0सा0 से आप लोगो को देखकर अभी अभी भाग गया है हम दोनो ने मिलकर कस्बा कोहंडौर में पशु चिकित्सालय के सामने एक आदमी के साथ खुद को उसका रिश्तेदार बताते हुये भ्रम मे डालकर फुटकर रुपये मांगे जैसे ही उस व्यक्ति में अपना पैसा निकाला कि हम लोग झपट कर भाग गये थे और उसमें करीब 12 हजार रुपये थे जिसे हम दोनो ने आपस में बांट लिया। उन्ही रुपये में से यह 1300 रुपये मात्र बचा है। आज हम दोनों सूनसान स्थान पर खड़े होकर किसी ऐसे ही राहगीर के आने का इंतजार कर रहे थे जिससे हम लोग झपटमारी करते कि आप लोगो ने पकड़ लिया। मैने पकड़े जाने के डर से अपना हुलिया बदलने के लिए मैने दाड़ी बाल कटाकर अपना हुलिया बदल लिया है। पहले मेरा दाड़ी बाल बढ़ाया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-
1-मु0अ0सं0 398/2025 धारा 304 (2) बीएनएस थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़।
2- मु0अ0सं0 152/2025 धारा 303 (2) बीएनएस थाना अन्तू जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी- 1- घटना से संबंधित 1300/-रूपये बरामद।

पुलिस टीम का विवरण- उपनिरीक्षक राजकुमार मिश्रा मय उ0नि0 विवेक कुमार यादव मय हमराह का० मुकेश कुमार, का० नीरज वर्मा थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़।

थाना सांगीपुर द्वारा जनपद प्रतापगढ

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास, मारपीट के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

घटना में प्रयुक्त 01 अदद बीच मे टूटी हुई लाठी व 01 अदद पूरी लाठी बरामद-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 22.10.2025 को ग्राम ग्राम बावरिया थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ में वादी व वादी के परिजनों के साथ आरोपीगणों द्वारा जान से मारने की नियत से मारपीट व हमला कर वादी व वादी के परिजनों को घायल कर देने के प्रकरण में वादी की तहरीर के आधार पर थाना सांगीपुर में मु0अ0सं0 202/2025 धारा 191 (2)/191 (3)/190/115 (2)/352/351 (3)/131/109 (1)/110 बीएनएस बनाम 06 नामजद अभियुक्त कुछ साथी नाम पता अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी सांगीपुर श्री मनीष कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में थाना सांगीपुर पुलिस टीम उ0नि0 राजीव कमल पाण्डेय मय हमराह का० खेमचन्द्र श्रीवास द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0- 202/2025 धारा 191 (2)/191 (3)/190/115 (2)/352/351 (3)/131/109 (1)/110 बीएनएस में वाँछित 01 अभियुक्त 1.कमलनारायण पाण्डेय पुत्र स्व० नन्दकिशोर पाण्डेय निवासी ग्राम बावरिहा थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ को घटना में प्रयुक्त 01 अदद बीच मे टूटी हुई लाठी व 01 अदद पूरी लाठी के साथ थाना सांगीपुर क्षेत्रातंर्गत इटौरी थाना बार्डर सड़क के किनारे से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1.कमलनारायण पाण्डेय पुत्र स्व० नन्दकिशोर पाण्डेय निवासी ग्राम बावरिहा थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

अपराधिक इतिहास-

1 मु0अ0सं0- 125/2024 धारा 307/452/504/506 भादवि थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

2 मु0अ0सं0- 101/2016 धारा 336/323/504/506 भादवि थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

3 मु0अ0सं0- 060/2023 धारा 323/504/506 भादवि थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

4 मु0अ0सं0- 202/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/ 115(2)/352/351(3)/131/109(1)/ 110 BNS भादवि थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 राजीव कमल पाण्डेय मय हमराह का० खेमचन्द्र श्रीवास थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।